


आदेश

श्रीमती मन्जुला पण्ड्या, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर जिनकी जन्मतिथि 25.07.1959 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05.05.87 के द्वारा राज्य सेवा में अपनी 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2019 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक--

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान जयपुर

क्रमांक -नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट-2/से0नि0/2019/953

दिनांक 10/7/19

प्रतिलिपि-- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- 2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उदयपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सलुग्बर, उदयपुर।
- 5 डीपीसी (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
- 6 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 8 आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान जयपुर